

Next-Gen GST

Better & Simpler

“अब मेरी खेती होगी और सस्ती”

समृद्ध किसान, खेती आसान

- ▶ अब टैक्स पर ₹40,000 से ज्यादा बचत
- ▶ अब कम्पाइन हार्वैस्टर श्रेयर पर ₹1.25 लाख तक की बचत
- ▶ पावर टिलर पर ₹10,000 तक की बचत
- ▶ मल्टी-क्रॉप श्रेयर पर ₹25,000 तक की बचत

भारत सरकार
GOVERNMENT OF BHARAT

वक्फ अमैंडमेंट एक्ट के तीन विवादास्पद प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शेष अधिनियम के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की तीन प्रमुख धाराओं पर अंतरिम रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन जिन धाराओं पर संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, उन पर निर्णय आने तक उन्हें स्थगित रखा जाएगा। अधिनियम में जिलाधिकारी को दिए गए अत्यधिक अधिकारों पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा:

- चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने जिन तीन प्रावधानों पर रोक लगाई है, उनमें पहला कलैक्टर को दिए गए “अत्यधिक” अधिकारों से संबंधित है। कोर्ट ने कहा, कलैक्टर को नागरिकों के निजी अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह “सैपरेशन ऑफ पावर्स” के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक इस प्रावधान पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक इस धारा को स्थगित किया जाता है।
- दूसरा प्रावधान वक्फ बोर्ड तथा केन्द्रीय वक्फ काउन्सिल में गैर मुस्लिम सदस्यों से संबंधित था, कोर्ट ने इसे भी स्थगित कर दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है।

“कलेक्टर को नागरिकों के निजी अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे सत्ता के पृथक्करण (सैपरेशन ऑफ पावर्स) के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा कोई निर्णय नहीं होता, तब तक किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया जा सकता। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘आयकर रिटर्न जमा करने की डैड लाइन नहीं बढ़ाई गई है’

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डैड लाइन 30 सितम्बर किए जाने की वायरल खबर को फर्ज़ी करार दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15, सितंबर। अगर आपने भी यह वायरल हुई खबर देखी है कि इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है, तो सतर्क हो जाइए, यह दावा फर्ज़ी है। इनकम टैक्स विभाग ने पुष्टि की है कि आधिकारिक अंतिम तिथि सोमवार, 15 सितम्बर ही है। वॉट्सएप और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे एक भ्रामक संदेश में दावा किया गया है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख 30 सितम्बर तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि पहले से बढ़ाई गई 15 सितम्बर की तारीख के बाद कोई

- हाल ही में वॉट्सएप और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है कि आयकर रिटर्न की डैड लाइन, जो पहले 15 सितम्बर थी, को बढ़ाकर 30 कर दिया गया है।
- वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई सरकारी नोटिस जारी नहीं किया गया है।

आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी नहीं की गई है। विभाग ने इस फर्ज़ी प्रेस विज्ञापन को ऑनलाइन साझा किया है, जिस पर “फेक” (फर्ज़ी) की लाल मुहर लगी हुई है ताकि करदाताओं को सचेत किया जा सके। एक बयान में विभाग ने कहा: “एक फर्ज़ी खबर प्रसारित हो रही है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि (जो पहले 31.07.2025 थी और फिर 15.09.2025 तक बढ़ाई गई) को और बढ़ाकर 30.09.2025 कर दिया गया है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनी हुई है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक “इनकम टैक्स इंडिया अपडेट” पर ही भरोसा करें।” 15 सितम्बर की अंतिम तिथि उन करदाताओं पर लागू होती है, जो टैक्स (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधायकों की खरीद -फरोख्त के मामले का हाई कोर्ट ने केस बंद किया

जयपुर, 15 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े एसीबी प्रकरण में, एसीबी

- अदालत ने कहा एसीबी ने अपराध को प्रमाणित नहीं मानते हुए एफआर पेश की है।

की ओर से पेश एफआर के आधार पर केस को बंद कर दिया है। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने ये आदेश भरत मालानी व अशोक सिंह की अपराधिक याचिका का निस्तारण करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि एसीबी ने स्वयं ही प्रकरण में अपराध बनाया प्रमाणित नहीं मानते हुए एफआर पेश की है। ऐसे में एफआईआर को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पांच साल पहले पेश याचिका में एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

88 वर्षीय महिला की पेंशन क्यों रोकी?

जयपुर, 15 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 88 वर्षीय महिला को अतिरिक्त राशि देने की आधार बनाकर उसकी फैमिली पेंशन रोकने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में पेंशन निदेशक, कोषाधिकारी और एसबीआई के शाखा प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश शशिकला बाबेल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

- हाई कोर्ट ने पेंशन निदेशक, कोषाधिकारी व एसबीआई के शाखा प्रबंधक से जवाब मांगा।

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति कार्मिक विभाग से सितंबर, 1994 में सहायक सचिव पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद उनकी पेंशन आरंभ हो गई। वहीं अगस्त, 2008 में पति का निधन होने पर विभाग ने याचिकाकर्ता को फैमिली पेंशन देना शुरू कर दिया। याचिका में कहा गया कि 26 दिसंबर, 2024 को कोषागार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘बिहार के एस.आई.आर. में हम अलग से निर्णय नहीं दे सकते’

सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि चुनाव आयोग, एक संवैधानिक संस्था है, अतः हम मानते हैं कि सभी कानून व कायदों का अनुसरण कर रहा होगा, नई मतदाता सूची बनाने में

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15, सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन-एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई गैरकानूनी तरीका पाया गया, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। बेंच ने यह स्पष्ट किया कि वह केवल बिहार के मामले में टुकड़ों में राय नहीं दे सकती, बल्कि यह निर्णय देशभर में होने वाले सभी एसआईआर प्रक्रियाओं पर लागू होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने

- पर, अगर यह पाया गया कि सूची फाइनल करने की प्रक्रिया में कुछ गैरकानूनी तरीके अपनाये गये हैं, तो सूची बनाने की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जायेगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, चुनाव आयोग के अधिकारी, आधार कार्ड को उस बारहवें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता होती है, नाम व पते के प्रमाण के लिए।

यह भी कहा कि वह यह मानकर चलती है कि चुनाव आयोग, एक संवैधानिक संस्था होने के नाते, एसआईआर की कवायद में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अंतिम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘कोई भी भारतीय क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाफ खेलना नहीं चाहता था’

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने यह भी कहा कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम को मजबूर किया था, पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 सितम्बर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने दावा किया है कि एशिया कप 2025 की टीम में शामिल किसी भी भारतीय खिलाड़ी की दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के दबाव में खिलाड़ियों को मैदान में उतरना पड़ा।

रविवार को एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने केवल खेल पर ध्यान केन्द्रित रखा। खेल के दौरान बल्ले और रेंड के बीच की प्रतिक्रिया को छोड़कर दोनों टीमों के बीच कोई मेलजोल नहीं हुआ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाया भारतीय टीम का पूर्व नियोजित निर्णय था,

- स्पोर्ट्स तक चैनल से एक वार्ता में सुरेश रैना ने दावा किया कि एक भी भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मन से तैयार नहीं था।
- भारतीय टीम की अनिच्छा पूरे मैच के दौरान नज़र आई। जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बात करना तो दूर औपचारिक “हैंड शेक” तक नहीं किया।

जिससे सलमान अली आगा की अगुवाई वाली फाक टीम हैरान रह गई। अब यह भी सामने आया है कि भारतीय खिलाड़ी यह मैच खेलना ही नहीं चाहते थे। स्पोर्ट्स तक के साथ बातचीत में पूर्व भारतीय स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा, “मेरी जानकारी के अनुसार, टीम का कोई भी खिलाड़ी एशिया कप खेलना नहीं चाहता था। एक तरह से वे मजबूर थे क्योंकि बीसीसीआई ने टूर्नामेंट खेलने के लिए हमी भर दी थी।” रैना ने कहा, “मुझे दुख है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर सुर्यकुमार यादव और उनकी टीम से व्यक्तिगत राय ली जाती, तो वे मना कर देते। किसी का मन नहीं था खेलने का।” पहलगाम आतंकी हमला, और उसके बाद शुरू हुए “ऑपरेशन सिंदूर” के चलते, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते एक अपूर्व

निचले स्तर पर पहुंच गए। दोनों देशों के बीच के तनाव को महेनज़र रखते हुये, यह भी सवाल उठने लगे थे कि इस साल एशिया कप होगा भी या नहीं। लेकिन अंततः बीसीसीआई और अन्य क्रिकेट बोर्डों ने टूर्नामेंट कराये जाने पर सहमति जताई। बीसीसीआई द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की मंजूरी दिए जाने के बाद, मैच के बहिष्कार की मांग भी उठी थी। सोशल मीडिया पर भी इस मैच को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई। फिर भी भारतीय टीम ने शोर को नज़रअंदाज़ कर निर्धारित मैच खेलने का साहस दिखाया। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर मैदान पर जीत तो हासिल की ही, साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता का संदेश भी दिया।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 15 मूक बधिर बच्चे हवाई यात्रा करेंगे

नयी दिल्ली, 15 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर 15 मूक-बधिर बच्चे हवाई यात्रा करेंगे। पूर्वी दिल्ली के पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल के प्रयास से पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा

- ये बच्चे तीन शिक्षिकाओं के साथ 16 सितम्बर को हवाई जहाज से जयपुर जायेंगे।

स्थित प्रमिला बाई मूक-बधिर स्कूल के 15 बच्चे और 3 शिक्षिकाएं हवाई जहाज से जयपुर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का भरपूर स्वागत किया

विपक्ष के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके सोच व तर्क की पुष्टि है, वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक है तथा मुसलमानों को लक्ष्य बनाकर गढ़ा गया है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15, सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा इस साल अप्रैल में पारित नए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की कुछ अहम धाराओं के लागू होने पर आज रोक लगा दी। विपक्ष ने इस अंतरिम आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह साबित करता है कि उनका यह कहना सही था कि यह कानून असंवैधानिक है और इसे जानबूझकर एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम की संसद में इस क्रान्ति का विरोध प्रदर्शन हुए थे, अब रोक दी गई है,

- पर, सरकार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरे विधेयक के क्रियान्वयन पर “स्टे” लगाने की जरूरत नहीं, पर, विधेयक के कुछ अंश पर “पॉज़” का बटन लगाने की जरूरत है, जब तक उस याचिका पर निर्णय नहीं होता जिसमें विधेयक की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।
- जयराम रमेश, एम.के. स्टालिन, के.सी. वेणुगोपाल, तृणमूल सांसद सागरिका घोष, अखिलेश यादव, जमीअत-ए-हिन्द नेता मौलाना अरशद मदनी, ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम “स्टे” का स्वागत करते हुए कहा कि इस आदेश से यह साबित हुआ कि जनता में जो विश्वास व भरोसा सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, वो जायज़ है।

उन्होंने कहा, आज का आदेश न सिर्फ़ उन दलों की जीत है, जिन्होंने संसद में इस मनमाने कानून का विरोध किया था, बल्कि उन सभी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों की भी जीत है, जिन्होंने विस्तार से असहमति दर्ज कराई थी, जिसे नज़रअंदाज़ किया गया था, पर अब वो सही साबित हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा, इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर की शक्तियों पर रोक लगाई है, मौजूदा वक्फ संपत्तियों को संदिग्ध दावों से सुरक्षित किया है और उन्होंने आगे कहा, इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर की शक्तियों पर रोक लगाई है, मौजूदा वक्फ संपत्तियों को संदिग्ध दावों से सुरक्षित किया है और उन्होंने आगे कहा, आज का आदेश जनता की उस उम्मीद और भरोसे को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही’

नयी दिल्ली, 15 सितंबर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने उच्चतम न्यायालय के वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि

- संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। यह निर्णय लोकतंत्र के हित में है।

श्रीधर अदालत का निर्णय लोकतंत्र के हित में है। रिजिजू ने वक्फ संशोधन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)